कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :../सम्ब. अनु./2018

दिनांक :. ....

स्पीड–पोस्ट/रजिस्टर्ड/व्यक्तिगत

कार्यालय ज्ञाप

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 2(13) के अनुसार महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन प्राप्त किया जाता है किन्तु प्रायः प्रबन्ध समिति में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 13.05 के अनुसार 25 प्रतिशत शिक्षक प्रतिनिधियों एवं एक शिक्षणेत्तर कर्मचारी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

1. जिन सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय से मान्यता/अनुमोदन प्राप्त है, उसके परिप्रेक्ष्य में परिनियमावली के प्राविधानानुसार वर्तमान में उल्लिखित 25 प्रतिशत शिक्षकों एवं एक शिक्षणेत्तर कर्मचारी के नाम तथा शिक्षकों व कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. भविष्य में प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 13.05 के अनुसार 25 प्रतिशत शिक्षक प्रतिनिधियों एवं एक शिक्षणेत्तर कर्मचारी के नाम का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : AF–15763–67 दिनांक : 09/07/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
5. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)